



हमारा प्रयास  
आपका आवास

# एकीकृत आवास नीति-2014 के अन्तर्गत पंजीकरण तथा लाइसेंस

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा एकीकृत आवास नीति-2014 के अन्तर्गत विकासकर्ताओं से लैण्ड असेसम्बली, सम्बन्धित बुनियादी ढाँचे के विकास तथा २५ एकड़ से ५०० एकड़ तक आवासीय क्षेत्र के प्रावधान के पंजीकरण तथा लाइसेंस हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पूर्ण विवरण वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) से डाउनलोड किया जा सकता है।

## आवेदन सम्बन्धी प्रमुख विशेषतायें तथा पात्रता मानदण्ड निम्नवत् हैं

- व्यक्तिगत, पंजीकृत कम्पनी, पंजीकृत स्वामित्व/भागीदारी फर्म, सोल प्रोपराइटर अथवा कम्पनियों के संघ इस नीति के अन्तर्गत शहरी विकास क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र हेतु पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
- निजी विकासकर्ताओं को ५० लाख प्रति एकड़ टर्नओवर के आधार पर न्यूनतम २५ एकड़ तथा अधिकतम ५०० एकड़ तक के सम्बन्धित क्षेत्र हेतु पंजीकृत किया जायेगा।
- निजी विकासकर्ताओं का पिछले तीन वर्षों के दौरान सकारात्मक नेट वर्थ पिछले वर्ष के अन्त में टर्नओवर का न्यूनतम २० प्रतिशत होना चाहिए।
- लाइसेंस परियोजना की अवधि हेतु वैध होगा।
- टेलीग्राफ, फिक्स्ड लाइन, ई-मेल द्वारा प्रेषित, सशर्त अथा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन पत्र के साथ रु. १०००/- अप्रतिदेय प्रोसेसिंग शुल्क तथा न्यूनतम एक लाख रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो कि “उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ” के नाम तथा सम्बन्धित नगर पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

आवास आयुक्त

आवेदन जमा करने की तिथि  
३१ दिसम्बर, २०१४ तक  
अथवा इससे पूर्व



IS 15700:2005



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

website : <http://www.upavp.com> E-mail : upavp@sancharnet.in

